

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 265/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 26.08.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 26.08.2024 को जनपद आजमगढ़ से निम्न कार्यवाही की गयी:-

01-थाना सरायमीर : अवैध तमन्चा-कारतूस व मैजिक वाहन में प्रतिबन्धित पशु के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा पशुओं की तस्करी व गोवध पर रोक लगाये जाने तथा संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के तहत दिनांक 25.08.2024 को प्र०नि० यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह व उ०नि० अखिलेश यादव मय हमराह द्वारा मुखबीर खास की सूचना पर पुरन्दरपुर ईट भट्टे के पास मोड़ से अभियुक्त महेन्द्र जायसवाल पुत्र सुरेश जायसवाल ग्राम औरंगाबाद थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष को समय करीब 22:30 बजे गिरफ्तार किया गया तथा 01 अभियुक्त फरार हो गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 मैजिक वाहन, क्रूरता पूर्वक बंधे 03 पशु बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर 1. मु०अ०सं०- 456/24 धारा 3/5ए/8 गोव हत्या निवारण अधि० व 11 पशु के प्रति क्रूरता अधि० 1960 व 2. मु०अ०सं०- 457/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सरायमीर आजमगढ़ पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

बरामदगी- 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 मैजिक वाहन, 03 पशु पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०सं०- 456/24 धारा 3/5ए/8 गोव हत्या निवारण अधि० व 11 पशु के प्रति क्रूरता अधि० 1960 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

2. मु०अ०सं०- 457/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- प्र०नि० यादवेन्द्र पाण्डेय, उ०नि० अखिलेश यादव, का० विक्रम यादव, का० विनय कुमार सरोज, म०का० अनीता कुमारी, म०का० मनीषा दूबे थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।



02-थाना पवई : अवैध कट्टा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा अवैध असलहा रखने व तस्करी पर रोक लगाये जाने तथा संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के तहत आज दिनांक 26.08.2024 को उ0नि0 मनीष मिश्रा मय हमराह द्वारा अभियुक्त अखिलेश कुमार पुत्र कमला कुमार निवासी खंजहांपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष को बागबहार विद्युत केन्द्र के पास से 01 अवैध कट्टा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ समय करीब 05:09 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया। गिरफ्तारी व बरादमगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 296/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 मनीष मिश्रा, का0 अनुराग यादव, का0 मुकेश सिंह थाना पवई जनपद आजमगढ़।



03-थाना जहानागंज : हत्या का प्रयास करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 12.11.2021 को वादी मुकदमा विजय सिंह उर्फ झब्बर सिंह पुत्र स्व० परशुराम सिंह ग्राम बड़ौरा बुजुर्ग थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 11.12.2021 को विपक्षी 1. राकेश सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह 2. दिनेश सिंह पुत्र श्यामनायन सिंह 3. अजीत सिंह पुत्र राकेश सिंह 4. मिथिलेश सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह 5 लल्लू उर्फ रूपेश सिंह पुत्र राकेश सिंह निवासीगण बड़ौरा बुजुर्ग थाना जहानागंज आजमगढ़ ने पुराने विवाद को लेकर वादी तथा वादी के पट्टीदार अजीत सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह व भरत सिंह को गाली गुप्ता देते हुए मारा-पीटा तथा जाँन से मारने की धमकी दिये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०- 242/21 धारा 147, 323, 504, 506 भादवि० पंजीकृत कर विवेचना उ०नि० मुरारी मिश्रा द्वारा किया जा रहा है। विवेचना के क्रम में मेडिकल व एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 307 भादवि० की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के तहत आज दिनांक 26.08.2024 को उ०नि० मुरारी मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दिनेश सिंह पुत्र श्यामनरायन सिंह निवासी बड़ौरा बुजुर्ग थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र करीब 61 वर्ष को अकबलेपुर मोड़ से समय करीब 09:55 बजे गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं०- 242/21 धारा 307, 147, 323, 504, 506 IPC थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
 2. मु०अ०सं०- 232/2022 धारा 308, 323, 324, 325, 34, 452, 504, 506 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ०नि० मुरारी मिश्रा, हे०का० प्रमोद यादव, हे०का० जितेन्द्र यादव थाना जहानागंज आजमगढ़।



04-थाना निजामाबाद : घर में घुसकर चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 10.05.2024 को वादी मुकदमा रामबदन यादव पुत्र मुन्नु यादव निवासी कोटिया जहाँगीरपुर थाना निजामाबाद जिला आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि अभियुक्त 1.रमेश उर्फ जंगली पुत्र चन्देलाल, 2.अरूण पुत्र सुदर्शन, 3.किशन पुत्र प्रकाश समस्त निवासी कोटिया जहाँगीरपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ वादी के घर में घुसकर अलमारी से गहने एवं 35000/- रु० चोरी कर लिये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०- 210/24 धारा 457/380 भादवि० पंजीकृत किया गया।

➔ उसी रात्रि वादिनी मुकदमा सुमन पत्नी रमेश सा० कोटिया जहाँगीरपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ के घर से भी अज्ञात चोरा द्वारा गहने व समान चोरी कर लिया गया था। जिसके संबन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०- 211/24 धारा 457/380 भादवि० पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के तहत आज दिनांक 26.08.2024 को उ०नि० प्रमोद कुमार सिंह और SIUT शुभम त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त अरूण पुत्र सुदर्शन निवासी कोटिया जहाँगीरपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को कोटिया गाँव मोड से करीब 12:30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से चोरी के कुल 3990/- रुपये बरामद हुये।

➔ गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उसने रमेश उर्फ जंगली व किशन के साथ मिलकर करीब 3 माह पूर्व अपने ही गाँव के रामबदन तथा रमेश के घर का ताला तोड़ कर चोरी किया गया था।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०सं०- 210/24 धारा 457,380,411 भादवि० थाना निजामाबाद आजमगढ़।
2. मु०अ०सं०- 211/24 धारा 457,380,411 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं०- 210/24 धारा 457,380,411 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़।
2. मु०अ०सं०- 211/24 धारा 457,380,411 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़।
3. मु०अ०सं०- 165/24 धारा 308, 323, 34, 354, 392, 427, 504, 506 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़।
4. मु०अ०सं०- 565/23 धारा 323, 336, 352, 504, 506 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़।
5. मु०अ०सं०- 90/19 धारा 308,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़।

बरामदगी- चोरी के 3990 रुपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ०नि० प्रमोद कुमार सिंह, SIUT शुभम त्रिपाठी, हे०का० हरिश्चन्द्र प्रसाद, का० इन्द्र कुमार पटेल थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।



05- थाना रौनापार : चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 02.03.2024 को वादिनी मुकदमा काजल गुप्ता पुत्री सुरेन्द्र गुप्ता साकिन काँखभार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 11.02.2024 को वादिनी अपने परिवार के साथ रेलवे स्टेशन मऊ जाने के लिये टेम्पू बुक किया तथा रास्ते में टेम्पू चालक आदि द्वारा मौके का फायदा उठाकर टेम्पू में रखे बैग से सोने की चैन, कान के जेवर सोने का, 01 सोने की अंगुठी चोरी कर लिये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 82/24 धारा 379/504/506 भादवि0 बनाम 1.पप्पू यादव पुत्र सत्यनरायन यादव 2.मुकेश यादव पुत्र पप्पू यादव 3. पप्पू का भतीजा नाम अज्ञात समस्त निवासी ग्राम महुला थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना चौकी प्रभारी महुला द्वारा प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण- अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के तहत आज दिनांक 26.08.2024 को उ0नि0 सूरज चौधरी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मुकेश यादव पुत्र पप्पू यादव ग्राम महुला थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को महुला बाजार गेट से समय करीब 13:32 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 01 आईफोन व 700/- रुपये बरामद हुआ।

बरामदगी- 01 iphone-11pro व 700 रुपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सूरज चौधरी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. का0 अरुण शर्मा रौनापार जनपद आजमगढ़
3. का0 संतोष गौड़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़



06-थाना मुबारकपुर : किशोरी को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 06.03.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना मुबारकपुर पर तहरीर दिया गया कि वादी की पुत्री ग्राम लंगड़पुर विद्यालय में पढ़ने के लिये गये किन्तु वापस नहीं आयी जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 95/2024 धारा 363 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 धर्मराज यादव द्वारा सम्पादित की जा रही थी। विवेचना के क्रम में अभियुक्त गोविन्द उर्फ उमाशंकर चौरसिया पुत्र जिवबोधन निवासी सादीपट्टी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण- अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के तहत आज दिनांक 26.08.2024 को उ0नि0 आशुतोष मौर्य (प्रशिक्षु) मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त गोविन्द उर्फ उमाशंकर चौरसिया पुत्र जिवबोधन निवासी सादीपट्टी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को गुलउर बाजार से समय करीब 13:35 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 आशुतोष मौर्य (प्रशिक्षु), हे0का0 तेजबहादूर यादव, म0का0 प्रतिभा यादव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

